ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुयें
01/26	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय ~~हड़ताल~~/कार्य स्थगन पर हैं। पेशी इलत्वा होकर पत्रावली दिनांक..09/02/26..को पेश हो।	
09/02/26	वकुलाय उप. आज पीठासीन अधिकारी ..[illegible].....में पधारे है। पत्रावली दिनांक....16/02/26 को पेश हो। रीडर	
16/02/26	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 07 अनु.। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 01 लगायत 06 उप.। साबिक आदेश की पालना में पत्रावली वास्ते बहस हेतु आइंदा दिनांक 27/02/26 को पेश हो। अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली, जिला-पाली	
27.02.2026	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 एवं 07 उपस्थित। निगरानी याचिकाएँ आज बहस हेतु नियत थी। प्रकरण पुकारे जाने पर प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अधिवक्ता/प्रार्थी को न्यायालय द्वारा क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुकार लगाई गई, तथापि कोई उपस्थित होकर प्रकरण की पैरवी हेतु अग्रसर नहीं हुआ। प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता लगातार अनुपस्थित चल रहे है। अतः प्रार्थी की अनुपस्थिति एवं प्रकरण की पैरवी न किए जाने के कारण यह न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 09 नियम 08 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रकरण को अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाना उचित समझता है। अतः प्रकरण उपर्युक्त प्रावधानों के अधीन अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में ख़ारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली, जिला-पाली	

Scanned with OKEN Scanner